भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 28
02 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: डिजिटल कृषि मिशन

***28. श्रीमती बिजुली कलिता मेधीः**
क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) डिजिटल कृषि मिशन से महिला किसानों, बटाईदार किसानों और अनौपचारिक जोत वाले किसानों की डिजिटलीकरण प्रक्रिया में समावेशिता किस प्रकार सुनिश्चित होती है;
(ख) क्या इंटरनेट या डिजिटल अवसंरचना की कम सुविधा वाले क्षेत्रों में किसानों की सहायता करने के लिए कोई प्रावधान है;
(ग) क्या सरकार की उक्त मिशन की प्रगति के आधार पर बजट बढ़ाने की योजना है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

'डिजिटल कृषि मिशन' के संबंध में लोक सभा में श्रीमती बिजुली कलिता मेधी, सांसद द्वारा पूछे गए दिनांक 02 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 28 के भाग (क) से (घ) के संबंध में उल्लिखित विवरण ।

(क): सरकार ने सितंबर 2024 में डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी है। इस मिशन में कृषि के लिए एक डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) जैसे एग्रीस्टैक, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली, व्यापक मृदा उर्वरता एवं प्रोफ़ाइल मैप और केंद्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा की गई अन्य आईटी पहल आदि के निर्माण की परिकल्पना की गई है ताकि देश में एक मजबूत डिजिटल कृषि इकोसिस्टम स्थापित किया जा सके। इसके फलस्वरूप यह नवीन किसान-केंद्रित डिजिटल समाधानों को बढ़ावा देगा और उन्हें विश्वसनीय बनाएगा। फसल संबंधी जानकारी सभी किसानों को समय पर उपलब्ध होगी। एग्रीस्टैक डीपीआई में कृषि क्षेत्र से जुड़ी तीन मूलभूत रजिस्ट्रियां या डेटाबेस शामिल हैं, अर्थात जियो रेफरेंस ग्राम मानचित्र, बोई गई फसल की रजिस्ट्री और किसान रजिस्ट्री। इन सभी का निर्माण और रखरखाव राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किया जाता है।

डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत राज्य किसान रजिस्ट्री में महिला किसानों सहित सभी भू-जोत किसान शामिल हैं। किसान रजिस्ट्री एप्लिकेशन में काश्तकार और पट्टेदार किसानों को भी शामिल करने का प्रावधान है। कोई भी राज्य, काश्तकार और पट्टेदार किसानों से संबंधित राज्य की नीति के अनुसार, ऐसे किसानों को किसान रजिस्ट्री में शामिल करने का निर्णय ले सकता है। इसके अतिरिक्त, दिनांक 27.11.2025 तक, कुल 7,63,72,702 किसान आईडी तैयार की जा चुकी हैं, जिनमें 1.93 करोड़ महिला किसान शामिल हैं।

(ख): स्मार्टफोन सभी के लिए उपलब्ध और सुलभ होते जा रहे हैं और भारत की प्रमुख दूरसंचार कंपनियों की सेवाएं देश के लगभग हर स्थान तक पहुँच गई हैं। हालाँकि, यह सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त कदम उठाए गए हैं कि जिन किसानों के पास मोबाइल फोन नहीं हैं, वे भी डिजिटल सेवाओं का लाभ उठा सकें। ऐसे किसान एग्रीस्टैक पर खुद को पंजीकृत कर सकते हैं और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), कृषि सखियों और कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) जैसी मौजूदा सहायता सुविधाओं का उपयोग करके सेवाएं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। राज्य भी कैंप का आयोजन कर रहे हैं ताकि कोई भी किसान एग्रीस्टैक के लाभों से वंचित न रहे। सरकार भाषिणी प्लेटफार्मों के एकीकरण के माध्यम से स्थानीय भाषाओं में भी डिजिटल एप्लिकेशन उपलब्ध करा रही है।

(ग) और (घ): सरकार ने 2817 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी है।

****